


मध्यप्रदेश की पूर्व-प्रदायनी के
दिनांक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमति ग्रन्त करायांग
भाषाम—५०५/इच्छा. पी.



मध्यप्रदेश शोपाल राज्यपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से अकाशित

क्रमांक 4]

शोपाल, गुजरात, दिनांक 4 जनवरी 1979—पौप 14, शके 1900.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायत)

शोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 1978.

क्र. 7183-5467-वाईस-प-78.—जूँकि इस विभाग की रुचना, दिनांक 29 सितम्बर 1978 द्वारा राजगढ़ जिले की रातंगपुर तहसील में प्राधिकार से अकाशित गालाबादी गोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं;

(प्रतिपाद्य) मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम, 1962 (क्रमांक 7 सन् 1962) की धारा 369 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शब्दियों को अनुसार सतत हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उपत ग्राम सभा को विस्थापित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
द. गो. भाव, सचिव.

शोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 1978.

क्र. 7184-5467-वाईस-प-78.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 7183-5467-वाईस-प-78, दिनांक 27 अक्टूबर 1978 का अंग्रेजी अनुयाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
द. गो. भाव, सचिव.

Bhopal, the 27th October 1978,

No. 7183-5457-XXXII-P-78.—Whereas the notice of intention for disestablishing Pachore Gram Sabha in Srangapur Tahsil of Rajgarh District has been published in "Madhya Pradesh Rajpatra" (Extra-Ordinary) dated the 30th September 1978 vide this Department Notification dated the 29th September 1978 and no objections have been received within the period specified therefor

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 369 of the Madhya Pradesh Panchayats Act, 1962 (No. 7 of 1962), the State Government hereby disestablishes the said Gram Sabha.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

D. G. BHAVE, Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 1978.

फ. 7185-5467-वाईस-पं.-78.—मध्यप्रदेश पंचायत आयितियम, 1962 (क्रमांक 7 अक्टूबर 1962) के अनुच्छेद 361 की उपधारा
 (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शासिताओं को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एवं द्वारा, इस अधिकार के "स्वतंत्र राजपत्र" में प्रकाशन के
 दिनांक से तीने दो गई अनुसूची को स्तंग (4) में यथित ग्राम सभाओं के द्वेषों की सीमाओं में है इस स्वतंत्र द्वेषों को उत्तरोपर्याकरण
 जिनकी सीमाएं उत्तर अनुसूची गी तत्स्थानी प्रविधियों की स्तंग (5) में निर्धारित की नहीं है, द्वारा द्वेष के स्वतंत्र सीमाओं को निष्प्रगावी
 करते हुए परिवर्तन करता है। परिवर्तित ग्राम सभा का अंतिम स्वतंत्र स्तंग (6) में दर्शाया जाता है—

ग्रन्तुग्रन्ति

क्रमांक	जिला	खण्ड	ग्राम सभा का नाम	स्वानीय द्वेष जो पदक किया जाता है		क्रमांक का परिवर्तित देख		
				ग्राम का नाम	सीमाएं	क्रमांक का नाम	क्रम सभा की सीमा	जनसंख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1. राजगढ़ (व्यावरा)	सारंगपुर	सरेडी	वीलापुरा	संपूर्ण ग्राम	उरेडी	उरेडी	निल्बुर	3113
							मुस्तवेडी	
							निपान्वारवाला	
							पौष्ट्यादेव	
							हालूदेडी कलां	
							हालूदेडी घुदं	
							सुमली धारड़	
							पुनरखेडी	2735
							रेलायती	
							देवलखेडा	
							दामड़िया,	
							डुत्तारिया	
							नापन्वारेडी	
							देहरीवामन	2489
							दुभाड़िया	
							लालपुरसाला	
							हराइघेडा	
							छत्तीराजगढ़	
							पंदमपुर	
							वादसखेडी	
							छत्तीनरसिंहगढ़	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

द. गो. भावे, सचिव

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 1978.

फ. 7186-5467-वाईस-पं.-78.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के सद्ध 3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना
 फ. 7185-5467-वाईस-पं.-78, दिनांक 27 अक्टूबर 1978 का अंतिम अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया
 जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

द. गो. भावे, सचिव

Bhopal, the 27th October 1978.

No. 7185-5467XXII-P-78.—In exercise of the powers conferred by clause (3) of sub-section (2) of section 361 of the Madhya Pradesh Panchayats Act, 1962 (No. 7 of 1962), the State Government hereby alters the limits of the Gram Sabhas specified in column (4) of the Schedule below by excluding therefrom the local areas, the limits of which are defined in column (5) of the said schedule with effect from the date of publication of this Notification in the gazette in supersession of those defined previously. The altered area of the Gram Sabha is shown in column (6) of the schedule:—

Schedule

Sl. No.	District	Block	Name of Gram Sabha	Locality in block excluded & limits thereof		Altered area of the Gram Sabha			Population
				Name of village (a)	Limits (b)	Name of Gram Sabha (a)	Limits Gram Sabha (b)	(c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Rajgarh (Blaora)	Sarangpur	Saredi	Bilapura	Whole village.	Saredi	Saredi	3113	
						Mithanpur			
						Gulkhedi			
						Nipunayawala			
						Piplayadeo			
						Halukhedi	Kalan		
						Halukhedi	Khurd		
						Semli	Dhakad		
2	Rajgarh .. (Blaora)	Blaora ..	Punarkhedi	Bhojpuriya	Whole village	Punar-khedi	Punarkhedi	2735	
						Relati			
						Dewalkheda			
						Damadiya			
						Dulteriya			
						Napnayakhedi			
3	Rajgarh .. (Blaora)	Rajgarh	Dehri-waman	Ganga-honi	Whole village.	Dehri-waman	Dehriwaman	2489	
						Dubhadiya			
						Lalpurjhala			
						Hataikheda			
						Chatrirajgarh			
						Padampur			
						Badalkhedi			
						Chatrivansingsinghgarh			

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
D. G. DHAVE, Secy.

स्थानीय शासन विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 1979.

क्र. 13-पठारहन्दो-79.—चूंकि राज्य शासन की यह राय है कि राजगढ़ जिले के बान पचोर में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्र में घट्ठरी व्यवस्था करना अपेक्षित है;

अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (कामांक 07 रान् 1961) को धारा 340 द्वारा प्रदत्त शावितर्यों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, राजगढ़ जिले के बान पचोर से समाविष्ट स्थानीय क्षेत्र पचोर के नाम से जिसकी सीमायें नीचे दी गई अनुसूची में निर्धारित हैं, दिनांक 4 जनवरी 1979 से अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता है:—

अनुसूची

राजगढ़ जिले की बारंगपुर तहसील में पचोर ग्राम में समाविष्ट ग्रामों गये स्थानोंके क्षेत्र को सीमाएं

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	सम्पर्कित क्षेत्र ग्राम क्षेत्र	सीमाएं व क्षेत्रफल विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	बारंगपुर	पचोर	4371.06	सम्पूर्ण ग्राम
"	ब्यावरा	भोजपुरिया	402.00	"
"	राजगढ़	गंगाहोनी	बड़खल चौकर	बड़खल 1 से 54 खतरा नम्बर की भूमि
"	बारंगपुर	विलापुरा	1313.55	सम्पूर्ण ग्राम

मध्यस्तर के क्षेत्रके नाम से तथा भावेश्वरनिस्तर,
आनन्द मीहन, उपसूचित,

गोपनी, फूलांगा, विजयनगर, कर्नाटक

क्र. 14-भागसंख्या-२८.—भारत के संविधान के पदनिधि १०४ के अनुसार वे व्यक्ति जो इस विभाग को शास्त्रिकरण करते हैं।

— अमेरिका के राष्ट्रपति के दूसरे जीवन में विभिन्न अधिकारियाँ

श्रीनारद योगः, चत्प्रथमिति

Biology, Vol. 12, No. 12-13, 1973.

No. 13-X VIII-II-78.—Whereas the State Government is of the opinion the improved arrangements are required within the local area comprising of village Pather in Rigarh District.

Now THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 146 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby declare the local area comprising the village Pachordi in Rajgarh district to be a notified area with effect from the 1st January 1979 by name limits of which are defined in the schedule below:—

Schedule

Limits of the local area comprised in Pachgaon village in Sazangpur tehsil of Raigarh district:-

District (1)	Tehsil (2)	Name of village (3)	Area included (4)	Limits and details of area (5) ..
Rajgarh	... Sarangpur	... Pachore	... 4271.06	Whole of the gram.
Rajgarh	... Biaora	... Bhopuria	... 497.00	Whole of the gram.
Rajgarh	... Rajgarhi	... Gangahori	Khasra No. 1 to 54	Land belongs to Khasra No. 1 to 54 only.
Rajgarh	... Sarangpur	Bilaspura	... 1213.55	Whole of the gram.

By order and in the name of the Governor of Madras Presidency

ANAND MOHAN, Dr. S. S.

भोपाल, दिनांक ५ अक्टूबर १९७९

क्र. 15-अठारह-दो-७८.—मध्यप्रदेश नगरसभा लिंका अधिनियम, १९६१ (क्र. ३७ नं. १९६१), की वारा ३४१ को उपरासा (१) के खण्ड (प्र. १) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एनडब्ल्यूएस, उच्च वक्तव्यास के चङ्ग (व) विधा (ग) के प्रयोगन के लिए राजगढ़ प्रिंसेपचौर अधिकार सुनिश्चित क्षेत्र के लिए खण्ड विधास अधिकारी, प्रबोर (क्र. १०८५), उच्चोक्त ज़रूरत, जिला संस्थान को नियंत्रित करने के

1. प्राणी विद्युत् 2. प्राणी विद्युत् 3. प्राणी विद्युत्

मातृल माहित उपसंचित

क्र. 16-यथारह-दो-78.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 के बावजूद (3) के अनुच्छेद 2 विभाग की अधिसूचना क्र. 15-यथारह-दो-78, दिनांक 4 जनवरी 1979 का अंगैजी अनुबाद दरायापाल के प्राप्ति-दर के अनुसार दरायापाल के प्राप्ति-दर के अनुसार

—
—
—
—
—

श्रीमद्भगवत् उपर्युक्तं

Bhopal; the 4th January 1979.

No. 15-XVIII-II-78.—In exercise of the powers conferred by the clause (d) of sub-section (1) of Section 341 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 57 of 1961), the State Government appoints block Development Officer, Pachore, (H. Q. Sarangpur) Taluk Sarangpur, District Raigarh, for the purpose of clauses b) and c) of the said sub-section for the Pachore Notified Area in ~~the~~ Sarangpur, District Raigarh.

By order and in the name of the Governor of Madras Province.

ANAND MOHAN By S. S.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 1979.

क. 17-पठारह-दो.—नूपि राज्य भासग गी यह राय है कि टीकागढ़ जिले के प्रामपृथ्वीपुर में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था करना चाहिए है।

प्रत्येक, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (फार्म 37, सन् 1961) की धारा 340 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य भासग, एतद्वारा टीकागढ़ जिले के ग्रामपृथ्वीपुर में ग्रामाविष्ट स्थानीय क्षेत्र, पृथ्वीपुर के नाम से, जिसका शीघ्रत्व नोचे दी गई घनुमूली में निर्धारित है अधिकृति क्षेत्र घोषित करने का अपना यांत्रिक प्रधान करता है।

ऐसी कोई भी आपत्ति पर जो इसमें प्रत्येक फिरी वात के सम्बंध में, उत्तम घनुमूली में निर्धारित स्थानीय क्षेत्र के यथस्क निवासी के, इस अधिकृति के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से पैसानीस दिन के भीतर टीकागढ़ जिले के सालेखटर की लिखित में प्राप्त हो राज्य भासग द्वारा विचार किया जायेगा।

अनुमूली

टीकागढ़ जिले की निवासी तहसील में पृथ्वीपुर प्राम में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्र की सीमाएँ:—

जिला	तहसील	प्राम का नाम	घोषित किये जाने वाले क्षेत्र	सीमाएँ व क्षेत्र का विवरण (है बटर में)
------	-------	--------------	------------------------------	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
टीकागढ़	निवासी	(1) पृथ्वीपुर	36, 118	सम्पूर्ण ग्राम
		(2) जैर	10, 517	सम्पूर्ण ग्राम
		(3) विन्दमुरा	3, 280	सम्पूर्ण ग्राम
		(4) करणवां	4, 624	सम्पूर्ण ग्राम

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रानन्द मोहन, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 1979.

क. 18-पठारह-दो-78.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के बंद (3) के अनुलेख में इस विभाग की अधिकृति का, 17-पठारह-दो-78, दिनांक 4 जनवरी 1979 का अंग्रेजी अनुयाद राज्यपाल के प्रधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रानन्द मोहन, उपसचिव।

Bhopal, the 4th January 1979.

No. 17-X VIII-II-79.—WHEREAS the State Government is of the opinion that improves arrangements are required within the local area comprising of village Prithvipur in Tikamgarh District;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 340 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby signifies its intention to declare the local area comprising of village Prithvipur in Tikamgarh District to be a notified area by name the limits of which are defined in the schedule below.

Any objection or suggestion which may be received in writing by the Collector, District Tikamgarh from any adult inhabitant of the local area defined in the said schedule in respect of the any thing herein contained within 45 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government.